विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत

रजिस्टर्ड-पत्र

संख्या / No. क्रमांक:- पेंशन प्राधि./आदेश/के- 85/2017-18/ 3617

144244066
17/1

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

दिनांक / Date 16-1-18

श्रीमान, प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, सैफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004 -

विषय:- दिनांक 01.10.2016 से पूर्व सेवानिवृत/मृत राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन में संशोधन बाबत।

प्रसंग:- वित्त (नियम) विभाग, जयपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ 12(6) एफ.डी./रूल्स /2017 दिनांक 9.12.2017

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या पेंशन प्राधिकृति/आदेश/के-85/17-18/3130-3164 दिनांक 01.12.2017 एवं 3299-3334 दिनांक 20.12.2017 के अनुक्रम में निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर ने पत्रांक प.5(294)निपेवि/नियम/2017/05-75 H दिनांक 02.01.2018 के साथ प्राप्त राजस्थान सरकार,वित्त विभाग(रूल्स डिवीज़न) के ज्ञापन क्रमांक एफ. 12(6) एफ.डी./रूल्स /2017 दिनांक 09.12.2017 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। मुख्य बिंदु इस प्रकार है:-

(1) अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 में राजस्थान राज्य पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरो की पेंशन में सातवे वेतन आयोग के अनुसार संशोधन का लाभ 01.10.2017 से दिया गयाथा। जिसे अब पेंशन संशोधन का लाभ 01.01.2016 से देय है।

(2) दिनांक 01.01.2016 से 30.09.2017 तक के मध्य सेवानिवृत/मृत कार्मिको के पेंशन प्रकरणो का संशोधन सम्बंधित विभाग से वेतन निर्धारण के पश्चात प्राप्त होने पर पेंशन विभाग के स्तर से जारी पेंशन परिलाभों की संशोधित अधिकृति के आधार पर किया जावेगा। बैंक अपने स्तर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करले की पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान छठवे वेतन आयोग के अनुसार किया जा रहा है अर्थात पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर को देय महंगाई राहत 119 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है।

(3) दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि का पेंशन एरियर देय नहीं किया गया है।

(4) दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान 3 किस्तों में 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में अगले वर्ष क्रमश: दिनांक 01.04.2018,01.07.2018 एवं 01.10.2018 को किया जायेगा लेकिन किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के मामले में पेंशन एरियर की पूरी राशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।

5) न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन रुपए प्रतिमाह 8,850 /- की गयी है एवं दिनांक 01.01.2017 से देय किया गया है तथा 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान तीन किस्तों में बिंदु संख्या 4 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियो / बैंक शाखाओ को प्रसारित कर भुगतान हेतु निर्देशित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे।

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
19 JAN 18
499807

सलंग्न:- ज्ञापन दिनांक 09.12.2017 की प्रति

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

PH-OG-TS

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263
Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263
ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

499867

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिपत्र

क्रमांक :— प.5 (294) /निपेवि/नियम/2017/ 05-754 — दिनांक : 02/01/2018

विषयः— दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत/मृत राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन बाबत्।

संदर्भः— वित्त (नियम) विभाग, जयपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ. 12 (6)/एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, दिनांक 05.12.2017 एवं समसंख्यक मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 1511–80–एच दिनांक 08.11.2017 एवं 1991–2065–एच दिनांक 07.12.2017 की निरन्तरता में वित्त (नियम) विभाग ने अपने मेमोरेन्डम कमांक एफ. 12 (6)/एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा रा.सि.से. (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन किये हैं, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं :—

1. वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 में राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन में सॉतवे वेतन आयोग के अनुसार संशोधन का लाभ दिनांक 01.10.2017 से दिया गया था, जिसे संशोधित कर मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017 द्वारा **पेंशन संशोधन का लाभ 01.01.2016** से दिया गया है।
2. दिनांक 01.01.2016 से 30.09.2017 के मध्य सेवानिवृत/मृत कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का संशोधन सम्बन्धित विभाग से वेतन निर्धारण के पश्चात् प्राप्त होने पर पेंशन विभाग के स्तर से जारी पेंशन परिलाभों की संशोधित अधिकृति के आधार पर किया जायेगा। बैंक अपने स्तर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान छठे वेतन आयोग के अनुसार किया जा रहा है अर्थात् पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 31.12.2015 को देय मंहगाई राहत 119 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है।
3. दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि का पेंशन एरियर देय नहीं किया गया है।
4. दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान 3 किश्तो में 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में अगले वर्ष कमशः दिनांक 01.04.2018, 01.07.2018 एवं 01.10.2018 को किया जायेगा लेकिन किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के मामले में पेंशन एरियर की पूरी राशि का भुगतान नकद में किया जावेगा।
5. न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन रूपये 8850/— प्रति माह की गई है एवं दिनांक 01.01.2017 से इसे देय किया गया है तथा 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान तीन किश्तों में बिन्दु संख्या 4 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना हैं।

अतः आप से अनुरोध है कि इस विभाग के पत्रांक 1511–80–एच दिनांक 08.11.2017 एवं 1991–2065–एच दिनांक 07.12.2017 के साथ–साथ वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर समुचित कार्यवाही सम्पादित करें।

संलग्न :— वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एवं
मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017

भवदीय,
(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

499807

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

MEMORANDUM

No. F. 12(6) FD/Rules/2017 Jaipur, dated: 09.12.2017

Subject:- Revision of Pension of pre-01.01.2016 State Pensioners/ Family Pensioners.

The Governor is pleased to order that the following amendments shall be made in FD Memorandum No. F.12 (6) FD/ Rules/ 2017 dated 30th October, 2017 and as amended by FD Memorandum even number dated 05.12.2017 :-

(i) The existing figures "01.10.2017" shall be substituted by figures "01.01.2016"

(ii) The existing figures "30.09.2017" shall be substituted by figures "31.12.2015"

(iii) The following new para 15 and 16 shall be inserted:-

"**15. Non-accrual of Arrears.**- Notwithstanding anything contained in these rules, no arrear of Pension and Dearness Relief thereon, shall accrue to a pensioner/family pensioner, between 01.01.2016 to 31.12.2016 (both days inclusive), for the period upto 31.12.2016.

"**16. Payment of Arrear.-** The arrear to the pensioner/family pensioner for the period from 01.01.2017 to 30.09.2017 shall be payable in three instalments in the ratio of 30, 30 and 40. The first, second and third instalment shall be payable on or after 01.04.2018, 01.07.2018 and 01.10.2018 respectively."

Provided that in case of death of pensioner/ family pensioner, as the case may be, the entire amount of arrear shall be paid in cash during the current financial year 2017-18.

By order of the Governor,

Manju Rajpal

(Manju Rajpal)
Secretary to the Government
Finance (Budget)